11/8

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 302/17 तारीख रजू— 08/09/2017

हनुमान पुत्र राधेश्याम जाति जाट निवासी गोठडा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
—अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार तहसील खण्डार। ——— रेस्पोण्डेण्टस

निर्णय दिनांक—. 20.8.18

अपीलान्ट ने यह अपील नामान्तकरण संख्या 1255 दिनांक 25/10/94 वाके ग्राम गोठड़ा तहसील खण्डार के विरूद्ध प्रस्तुत की है। नामान्तकरण संख्या 1255 दिनांक 25/10/94 द्वारा ग्राम गोठडा में अपीलान्ट द्वारा कय की गई भूमि का संयुक्त खातेदार छोटू द्वारा अपनी भूमि का बेचान नहीं करने के कारण अपीलान्ट के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण निरस्त किया गया था, साथ ही नामान्तकरण संख्या 1255 दिनांक 25/10/94 निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते तलबी मूल अभिलेख न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा मूल अभिलेख की सत्य प्रतिलिपी पूर्व से पत्रावली में शामिल होने पर उभय पक्ष द्वारा बहस हेतु सहमत होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपने अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 18/07/1994 को आराजी खं0नं0 655 रकबा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गोठडा तहसील खण्डार के खातेदारान बजरंगा, रामनाथ, राधेश्याम सीताराम, धन्जी , मदरूप , ओमप्रकाश जाट पिसरान रामकोरया जाट व बजंरगा ,रामफूल, हरिमोहन पिसरान जैना, तुलसी बैवा जैना, गंगाराम पुत्र बिहारी जाति जाट निवासीयान गोठडा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर से उनके हिस्से की भूमि जरिये रजिस्ट्री खरीद की थी तथा उपरोक्त आराजी पर अपीलान्ट का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। पटवारी हल्का गोठडा द्वारा उक्त विकय पत्र दिनांक 18/07/94 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1255 अपीलान्ट के नाम भर दिया जो कि दिनांक 25/10/1994 को नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा संयुक्त खातेदार छोटू द्वारा अपने हिस्से का बेचान नहीं करने के कारण निरस्त कर दिया है। उक्त वाद—आरजीयात पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में उक्त छोटू के हिस्से की भूमि भी अपीलान्ट द्वारा कय कर रजिस्ट्री करवा ली गई है। अतः नामान्तकरण संख्या 1255 निर्णय दिनांक 25/10/94 निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम गोठडा में स्थित भूमि खं0नं0 655 रकबा 17 बिस्वा बजरंगा, रामनाथ, राधेश्याम सीताराम, धन्जी , मदरूप , ओमप्रकाश जाट, छोटू पिसरान रामकोरया जाट व बजंरगा ,रामफूल, हरिमोहन पिसरान जैना, तुलसी बैवा जैना,

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

12/A

गंगाराम पुत्र बिहारी जाति जाट निवासीयान गोठडा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि छोटू के अलावा अन्य खातेदारों द्वारा अपीलान्ट को बेचान कर दिया था। छोटू के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान नहीं करने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण निरस्त किया गया था। जो न्यायोचित है। क्योकि जब तक सम्पूर्ण खातेदार अपने कब्जे की भूमि का बेचान नहीं कर देते तब तक अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण खोलना न्यायोचित नहीं है, साथ ही वकील रेस्पों ने अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1255 निर्णय दिनांक 25/10/94 यथावत रखने हेतु निवदेन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में छोटू द्वारा अपना हिस्से का बेचान नहीं करने के कारण नामान्तकरण संख्या 1255 दिनांक 25/10/94 खोला गया है। अपीलान्ट पक्ष द्वारा उक्त छोटू के हिस्से की जमीन क्रय कर रजिस्ट्री की प्रति प्रस्तुत की है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि छोटू द्वारा अपने हिस्से की जमीन का बेचान भी अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया गया है। अतः मेरे अभिमत में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1255 निर्णय दिनांक 25/10/94 वाके ग्राम गोठड़ा निरस्त किया जाता है, साथ ही नायब तहसीलदार खण्डार को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद आराजीयात से संबंधित समस्त विकय पत्र/रजिस्ट्री का अवलोकन कर नियमानुसार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 20-8-18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर